फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्ट्रर मुकाम....खींवसर

मोटाराम बनाम चेनीदेवी वगैराह

किस्म मुकदमा...राजस्व प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट....नं 40 .सन् 2020

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
	24.07.2020	

प्रार्थी ने जरीये वकील अप्रार्थीगण के विरुद्व राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की उक्त प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का है वकील प्रार्थी का एक पक्षीय सुना गया और वकील प्रार्थी को भी सुना गया। तथा पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड का अवलोकन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी के कथनानुसार वादग्रस्त आराजी में से अप्रार्थीगण को बंट अनुसार आराजी देने के बावजूद भी अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी करते है इसलिए वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी को सुरक्षित रखा जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र दर्ज रजिस्ट्रर हो। बहक अप्रार्थीगण के विरूद्व अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य कि जारी की जाती है कि मौजा हनुमानसागर के वादग्रस्त खसरा नबंर 263 रकबा 13.15 बीधा, ख.न. 263/506 रकबा 08.03 बीघा में प्रार्थी के कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करे तथा प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जासुदा भू भाग पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण आदि नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

नोटः– <u>उक्त अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा DILRMP पर प्रभावी नहीं होगी, उक्त अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी तक ही प्रभावी रहेगी।</u>

अप्रार्थीगण असालतन या वकालतन जरीये जबाव प्रस्तुत करें अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेंगी। मिशल वास्ते जबाव हेतु दिनांक 27.08.2020 पेश हो ।

सहायक कलक्ट्रर
खींवसर

27/8/20 पक्षकार/पक्षकारान व अधिवक्ता उपस्थित

पीठासीन अधिकारी जी मीटिंग में/भ्रमण/स्थानान्तरण हो चुका है/अवकाश पर गये हुए है। पत्रावली उनके समक्ष दिनांक 5/11/20 को प्रस्तुत हो।

5/11/20 /पक्षकारान व अधिवक्ता उपस्थित

पीठासीन ... भ्रमण/ ... अवकाश पर गये हुए ... उनके समक्ष दिनांक 7/1/21 को प्रस्तुत हो।

7/1/21 ... उपस्थित

... गये हुए ... 25/3/21

FORM No. III

APP-A
Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

दालत .... मुकाम ....

मोटाराम बनाम ऐली

मुकदमा धारा 212 ... नं. 40 सन 2020

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	21/9/22	
	प्रार्थी मय वकील प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी ने निवेदन पेश कर इसके मूल वाद को भांति विड्रॉ (वापिस) करवा लिया है इसलिए इस प्रा.पत्र. को आगे चलाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है इसलिए प्रार्थी मय वकील की उक्त स्वीकारोक्ति के आधार पर तथा प्रार्थी का उक्त प्रा.पत्र भी विड्रॉ (वापिस) किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार सुपुर्द रिकार्ड बाद तकमील दाखिल रिकार्ड हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO), खींवसर	मोटाराम Identified by (हस्ताक्षर)